न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 02/ 23 वर्ष 2023

जीसीएम संख्या :–2023/9

बउनवानी:–1. बालकिशन पुत्र रामनारायण शर्मा निवासी उलियाना तहसील सवाईमाधोपुर
2. राकेश पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी उलियाना तहसील सवाईमाधोपुर
3. धूलीराम पुत्र हंसराज मीना निवासी उलियाना तहसील सवाईमाधोपुर
4. पप्पूलाल पुत्र हनुमान मीना निवासी उलियाना तहसील सवाईमाधोपुर
5. दिलखुश पुत्र कालूराम मीना निवासी उलियाना तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत भदलाव तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
2. प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उलियाना सवाईमाधोपुर

(निगरानी विरूद्व पटटा संख्या 01/21 निर्णय दिनांक 20.04.2021 द्वारा ग्राम पंचायत भदलाव जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थित:–1. श्री भोलाशंकर शर्मा — वकील प्रार्थी
2. श्री तौफिक मोहम्मद — वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांक 14.2.2024

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत भदलाव की पटटा संख्या 01/2021 निर्णय दिनांक 20.04.2021 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित प्रस्ताव/पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत प्रस्तुत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी पटटा विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि निगरानीकर्तागण अपने पूर्वजो के समय हजारो वर्ष पूर्व से ग्राम उलियाना में गांव की आबादी के मध्य निवास कर रहे है और सभी ने अपने–अपने परिवार के हिसाब से पक्का/कच्चा निर्माण कर वर्तमान में अपने परिवार सहित गावं निवास कर रहे है साथ ही अपनी कुल देवी पपलाज माता का मंदिर भी बना रखा है एवं अपने रिहायशी मकानो के पास अपने पशुओ को बांधने एवं चारा व ईधन संबंधी सामान रखने के हेतु जाल लगाकर छोटे–छोटे बाडे कई वर्षो से बना रखे है तथा कई निगरानीकर्ताओं द्वारा पक्की बाउण्ड्रीवाल भी बना रखी है। अप्रार्थी संख्या 1 को चुनाव मे वोट नही देने के कारण व्यक्तिगत द्वेषता की भावना से निगरानीकर्ताओ को आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान करने की गरज से बिना मौका देखे एवं मौका रिपोर्ट लिये बिना ही निगरानीकर्ताओं के मकान बाडे को नुकसान पहुँचाने की गरज से दिनांक 22.6.2021 को बुक संख्या 41 पटटा संख्या 18 मिसल संख्या 01/20.4.2021 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम,1996 प्रारूप 23(ग) नियम,158 की पालना की अवहेलना करते हुए दिनांक 22.06.2021 को जो पटटा ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उलियाना के नाम से निःशुल्क जारी किया है। वो सरासर गलत है। उक्त पटटा जारी करने से पूर्व सार्वजनिक आपत्ति भी जारी नही की गयी है ओर ना मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियम 162 का भी उल्लघंन किया गया है क्योकि उक्त नियम के तहत ग्राम पंचायत को 500 वर्ग गज से अधिक भूमि पर पटटा जारी करने का कोई अधिकार नही है। 500 वर्ग गज से अधिक भूमि निःशुल्क देने के लिए राज्य सरकार/उच्चाधिकारी से अनुमोदन लेना होता है जो नही लिया गया है इसलिए आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त करने का वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:08:10 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(निगरानी संख्या 02/2023 उनवानी बाल किशन वगै बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भदलाव वगै.)

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत भदलाव द्वारा उपस्वास्थ्य केन्द्र उलियाना के लिए पटटा जारी करने की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार समपन्न की गयी है। यह तर्क भी दिया कि चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उलियाना के द्वारा नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उलियाना के भवन, स्टॉफ आवास, पार्किंग हेतु लगभग 5 बीघा भूमि की मांग ग्राम पंचायत से की जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आबादी भूमि ख0न0 1165 रकबा 12.72 बीघा मे से 5 बीघा भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को दिये जाने बाबत पटटा पत्रावली संख्या 01 दिनांक 20.4.2021 को दायर की जाकर आपत्ति नोटिस जारी किये गये आपत्ति नोटिस की समय अवधि व्यतीत होने तक किसी आम नागरिक की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की जाने पर मनोनित सदस्यो कमश निरमा, लडडू एवं चन्द्रप्रकाश से मौका दिखवा कर मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मौका स्थल का निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने पर हल्का पटवारी से भूमि की जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस की नकल एवं ब्लू प्रिन्ट नक्शा तैयार करके संलग्न पत्रावली किया जाकर पत्रावली को निर्णय हेतु दिनांक 7.6.2021 को कोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोरम के सदस्यों द्वारा बाद विचार विमर्श उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि का पटटा जारी किये जाने बाबत अपनी सहमति प्रदान की गयी किन्तु पंचायत राज अधिनियम,1996 के नियम 162(2) के तहत सरकारी संस्थाओं को निःशुल्क पटटा जारी किया जा सकता है किन्तु आवेदक द्वारा उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 5 बीघा भूमि चाही गयी है तथा अधिनिय के नियम 162(1) के अनुसार केवल 500 वर्ग गज भूमि ही ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी संस्थाओं को आवंटित की जा सकती है इससे अधिक भूमि आवंटित किये जाने हेतु पंचायत समिति सवाईमाधोपुर से अनुमोदन हेतु पत्रावली भिजवायी जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर के आदेश कमांक/जिप/पंचा/20/ 240–47 दिनांक 17.6.2021 से अनुमोदन/पूर्वानुमति प्रदान की जाने पर दिनांक 22.6.2021 को उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु पटटा जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार विधिक त्रुटि नही है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है।

वकील उभय पक्षों की और से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वकील निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत भदलाव द्वारा मिसल संख्या 01/2021 में जारी पटटा संख्या 18 दिनांक 22.6.2021 को इसलिए विधिविरूद्व बताया गया है कि उक्त भूमि पर प्रार्थीगणों का कब्जा है तथा ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 500 वर्ग गज से अधिक भूमि का निःशुल्क पटटा जारी किया गया है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी के अनुसार ग्राम पंचायत की आबादी भूमि ख0न0 1165 रकबा 12.72 बीघा मे से 5 बीघा भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को दिये जाने बाबत पटटा पत्रावली संख्या 01 दिनांक 20.4.2021 को दायर की जाकर विधिवत आपत्ति नोटिस जारी किये गये है तथा कोई आपित्ति प्राप्त नही होने पर तीन सदस्यो से मौका दिखवाकर मौका रिपोर्ट तलब की गयी तत्पश्चात ग्राम विकास अधिकारी से मौका स्थल का निरीक्षण करवाया जाकर मौका स्थल की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जाकर कौरम के सदस्यों की सहमति उपरान्त 500 वर्ग गज से अधिक भूमि आवंटित किये जाने हेतु पंचायत समिति सवाईमाधोपुर से अनुमोदन हेतु पत्रावली भिजवायी जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर के आदेश कमांक/जिप/पंचा/ 20/240–47 दिनांक 17.6.2021 से अनुमोदन/पूर्वानुमति प्रदान की जाने पर दिनांक 22.6.2021 को उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु पटटा जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण आदेश जैर निगरानी मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:08:10 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner